राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को "परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)" के माध्यम से आयोजित आयोग की 211वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सहभागी

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
4.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
5.	सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
6.	सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ "परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)" के माध्यम से आयोग की 211वीं बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को कार्यसूची परिचालित कर दी गई थी। ई-मेल में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि दिनांक 18 दिसंबर, 2020 तक किसी भी सहभागी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो आयोग की 211वीं बैठक की कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाएगा।

श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य ने दिनांक 18.12.2020 के ई-मेल द्वारा कार्यसूची की मदों पर अपनी सहमति व्यक्त की है। चूंकि किसी सहभागी व अन्य भागीदारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उल्लिखित विवरण के अनुसार, आयोग की 211वीं बैठक के निम्नलिखित कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाता है।

कार्यसूची मद सं. 211 /I/1:

दिनांक 18 नवंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 210वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 210वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यसूची मद सं. 211/I/2:

दिनांक 18 नवंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 210वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

दिनांक 18 नवंबर, 2020 को आयोजित 210वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद सं. 211/I/3:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. 11 प्रस्तावों के चयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 11 प्रस्तावों के लिए वित्तीय अनुमोदन। इन 11 प्रस्तावों के लिए 1,73,11,500/-रूपये (केवल एक करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार पांच सौ रूपये) का व्यय होगा। इस रकम में से, आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम किश्त के रूप में 86,55,750/-रूपये (केवल छियासी लाख पचपन हजार सात सौ पचास रूपये) अर्थात् कुल स्वीकृत राशि का 50% जारी किया जाना है।

कार्यसूची मद सं. 211/I/4:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों पर अनुमोदन।

आयोग ने 09 अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों में से 03 अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों पर अनुमोदन करके चयन करके अंतिम रूप दिया। जिन्हें वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन किया गया। कार्यसूची के मद सं 1 में दिए गए विवरण के अनुसार राजीव गांधी विश्वविद्यालय इटानगर द्वारा प्रस्तावित महिला मानसिक स्वास्थ्य, साइबरस्पेश में महिला प्रयोगार्थियों के साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के विषय पर दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिन्हें (1) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरूणाचल प्रदेश (2) टेस्टो

कॉलेज सोविमा, छठा मील, दीमापुर, नागालैंड ने विशेषज्ञ समिति की शिफारिश के अनुसार प्रस्तुत किया।

कार्यसूची मद सं. 211/I/5:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: लिंग संवेदनशीलता व समावेशीकरण पर ऑनलाइन चर्चा

आयोग ने दिनांक 20 अक्तूबर 2020 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति: लिंग संवेदनशीलता एवं समावेशीकरण' विषय पर आयोजित वेबिनार के कार्यवृत्त पर अनुमोदन के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं अन्य सहभागियों को परिचालित करने के लिए स्वीकृति दी।

कार्यसूची मद सं. 211/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.11.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.11.2020 तक व्यय विवरणी नोट की गई।

कार्यसूची मद सं. 211/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (नवंबर, 2020) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 211/II/3:

जमानत पर आए अभियुक्त से सामूहिक बलात्कार के कथित दोषी के उत्तरजीवी को जान के खतरे के बारे में आई मीडिया रिपोर्ट (रेवाड़ी) का संज्ञान।

श्रीमती रेखा शर्मा, रा.म.आ. की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार नोट किया।

(मीता राजीवलोचन)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्षा